निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**4 श्रावण 1940 (श०)**

**(सं0 पटना 714) पटना, वृहस्पतिवार, 26 जुलाई 2018**

**वाणिज्य–कर विभाग**

**अधिसूचना**

**26 जुलाई 2018**

**अधिसूचना संख्या 14/2018–राज्य कर (दर)**

एस०ओ० 212, दिनांक 26 जुलाई 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एत्द द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या–555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :–

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "9घ | अध्याय 99 | प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे | कुछ नहीं | कुछ नहीं "; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं । | | |

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "10क | शीर्षक 9954 | **कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण** उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने **वाली सेवाएं ।** | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ङ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "टैरिफ घोषित" शब्दोंके स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखितक्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "24क | **शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985** | लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं **";** |

(झ) क्रम संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखितक्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **"31क** | शीर्षक **9971 या शीर्षक 9991** | कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| **31ख** | शीर्षक **9971** | प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने | कुछ नहीं | कुछ नहीं**";** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **or** शीर्षक **9991** | सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं । | | |

(ञ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "34 क | शीर्षक 9971 | केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा: -

(ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **"47क** | शीर्षक **9983** या शीर्षक **9991** | खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ड) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **"55क** | शीर्षक **9986** | पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
|---|---|---|---|---|
| **"65ख** | शीर्षक **9991** या कोई अन्य शीर्षक | ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारकों से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । | शून्य | बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा माल और सेवा कर की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्पष्टीकरण.-<br>"खनन पट्टा धारकों" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, **1957 (1957** का **67)** की धारा **3 (**ग) या उसके अंतर्गत बने नियमो या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, **1957 (1957** का **67)** की धारा 15(1) के अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो। | | सेवा पर छूट दी गई माल और सेवा कर से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर की राशि के बराबर हो और माल और सेवा कर रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई माल और सेवा कर छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा ।" |

(ण) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "77 क | शीर्षक **9995** | निम्नलिखितमें लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,-<br>**(i)** औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या<br>**(ii)** व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन,<br>प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये **(1000/-**रू0**)** की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (iii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेत्, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेत् केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं0सं0 ब्रिकी–कर / जी0एस0टी0 / विविध–21 / 2017 (खंड–2)–14)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

**26 जुलाई 2018**

एस०ओ० 212, दिनांक 26 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 ब्रिकी–कर / जी0एस0टी0 / विविध–21 / 2017 (खंड–2)–14)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

*The 26th July 2018*

Notification No. 14/2018-State Tax (Rate)

S.O. 212, dated the 26th July 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11, of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 555, dated the 29thJune, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;

(b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;

(c) after serial number 9C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "9D | Chapter 99 | Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60 years or more) against consideration upto twenty five thousand rupees per month per member provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance. | Nil | Nil"; |

(d) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "10A | Heading 9954 | Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for | Nil | Nil"; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | extending electricity distribution network upto the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use. | | |

(e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;

(f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the number "2019" shall be substituted;

(g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2018", the number "2019" shall be substituted;

(h) after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "24A | Heading 9967 or Heading 9985 | Services by way of warehousing of minor forest produce. | Nil | Nil"; |

(i) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "31A | Heading 9971 or Heading 9991 | Services by Coal Mines Provident Fund Organization to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948). | Nil | Nil |
| 31B | Heading 9971 or Heading 9991 | Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee. | Nil | Nil"; |

(j) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "34A | Heading 9971 | Services supplied by Central Government, State Government, Union territory to their undertakings or Public Sector Undertakings(PSUs) by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the financial institutions. | Nil | Nil"; |

(k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after figures "36" the word and number "or 40" shall be inserted;

(l) after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "47A | Heading 9983 or Heading 9991 | Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators. | Nil | Nil"; |

(m) after serial number 55and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "55A | Heading 9986 | Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses). | Nil | Nil"; |

(n) after serial number 65A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "65B | Heading 9991 or any other Heading | Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders.<br>*Explanation.-* "mining lease holder" means a person who has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. | Nil | Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.”; |

(o) after serial number 77 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| “77A | Heading 9995 | Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,-<br>(i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmers; or<br>(ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment,<br>to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year. | Nil | Nil”; |

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.”.

2. This Notification shall come into force with effect from 27th July, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)—14)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,,

*Commissioner-cum-Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 714-571+10-डी0टी0पी0।

**Website: http://egazette.bih.nic.in**